को निषिद्ध किया गया है। विदेशी राष्ट्रक अधिनियम 1946, में विदेशियों के अनधिकृत रूप से भारत में ठहरे रहने और आने-जाने का निषेध है। इन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सौंप दी गयी है। केन्द्र सरकार भी समय-समय पर निर्देश जारी करती रही है, जिनमें उन विदेशियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने पर जोर दिया गया है जो अनधिकृत रूप से भारत में आंए और यहां ठहरे हुए हैं। भारत-पाक सीमा से होकर की जाने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में अन्य के साथ-साथ सम्मिलित हैं:— सीमा सुरक्षा बल द्वारा गश्त बढ़ाना और इसकी वाटर विंग को सुदृढ़ करना तथा सीमा/सड़कों एवं बाड़ का निर्माण करना।

Offer from Private Parties for Four-Lane National Highways

*168. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have received any offers from private parties in its move to four-lane 14,000 Kms. of National highways; if so, the names of such parties and the details of offer made;

(b) whether Government propose to exercise control over such parties with regard to the amount of toll be charged by them from vehicle owners;

(c) whether toll proposed to be levied in perpatuity means that toll will not be stopped even when private parties have recovered their cost;

(d) whether Government have taken in consideration the impact the toll will have on prices of commodities; and

(c) if so, the details of the assessment made?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir. The toll rates would be decided by the Government.

(c) In the case of projects taken up under Build, Operate and Transfer Scheme, when the concessing period expires, the facility will revert to Government and the Government will thereafter continue to collect the toll in perpetuity for use in further National Highway Development.

(d) and (c) The tolls would generally be a fraction of the benefits that would accrue to the road user through improved roads. Hence, no adverse impact is expected on the overall prices of the commodities.

गुजरात की लम्बित सड़क परियोजनाएं

*169. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी गुजरात की सड़क परियोजनाओं का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लम्बित पड़ी हैं;

(ग) उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने इन लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी०जी० वेंकटरामन) : (क) वार्षिक योजना 1996-97 में शामिल 16 कार्यों के लिए गुजरात सरकार से अनुमान प्राप्त हुए थे।

(ख) से (ङ) 12 कार्यों को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। चार कार्यों की संवीक्षा की जा रही है।

Isolated Policy of India in World Affairs

*170. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India has lately been getting isolated in various world bodies and international conferences such as UN, WTO, CTBT;

(b) the specific issues on which India found itself so isolated in the various world fora and in what circumstances,